कार्यालय, जिला पंचायत जशपुर (छ0ग0)

//आदेश //

क्रमांक /2306/जि.पं./स्था./संविदा भर्ती /2016 जशपुर, दिनांक 05/12/2016

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग महानदी भवन मंत्रालय, नया रायपुर का आदेश क्र./995/आर 70/मुपंसयो/22–1/2016 नया रायपुर दिनांक 21.07.2016 तथा कार्यालयीन विज्ञापन क्रमांक/1241/जि.पं./स्था./संविदा भर्ती/2016 जशपुर दिनांक 19.08.2016 के तहत् मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजनान्तर्गत जिला पंचायत संसाधन केन्द्र (डीपीआरसी भवन) में **डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (संविदा)** के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 28.02.2017 तक के लिए एकमुश्त संविदा **वेतन रू. 13776/– प्रतिमाह** पर निम्न चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख दर्शित जिला पंचायत संसाधन केन्द्र (डीपीआरसी भवन) में नीचे वर्णित शर्तों के अधीन पदस्थ किया जाता है :–

क्र.	नियुक्त उम्मीद्वार का नाम	पिता/पति का नाम	पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5
	कु.फ्रांसिस्का खलखो	स्व.श्री इमिल खलखो	ग्राम–कोतया पी.ओ. –कुरकुंगा तह.–कुनकुरी जिला–जशपुर	जिला पंचायत संसाधन केन्द्र भवन डोड़का चौरा, जिला जशपुर

प्रमाणित किया जाता है कि इस नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

शर्ते :–

1. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अधीन शासित होंगे।
2. संविदा अवधि के दौरान दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
3. सेवा समाप्ति पश्चात संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु–लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
4. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा कार्य संतोषप्रद नहीं होने अथवा अन्य किसी भी विशेष कारणों से बिना किसी पूर्व सूचना के नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
5. नियुक्ति अवधि में किसी अन्य फर्म/संस्था में कार्य/नियोजन की दशा में नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2004 के अनुसार प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में 18 दिनों का आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों का ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी।

7. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को **दिनांक** 12/12/16 **सायं 5:30 बजे तक जिला पंचायत जशपुर में उपस्थिति देवें, तत्पश्चात पदस्थापना कार्यालय में** कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जावेगी।

8. कार्य ग्रहण करने के समय समस्त शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण–पत्रों की एक–एक सत्यापित प्रति भी जमा करना होगा।

9. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जावेगा, ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन हो सके।

10. जिला मेडिकल बोर्ड से स्वयं का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन प्रमाण–पत्र में प्रतिकूल टीप होने पर नियुक्ति निरस्त की जायेगी।

11. संविदा नियुक्त कर्मचारी को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए संविदा राशि का कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा पी.पी.एफ. में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देना होगा।

12. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर जिले से बाहर के अभ्यर्थियों/आवेदको की नियुक्ति प्राप्त होती हैं, तो वह छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्र. एफ 1–1/2012/1–3 रायपुर दिनांक 17.01.12 के प्रावधानों के संदर्भ में राज्य शासन के निर्णय के अध्याधीन है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत–जशपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/2306/A/जि.पं./स्था./संविदा भर्ती/2016 जशपुर, दिनांक 05/12/2016

<u>प्रतिलिपिः–</u>

1 विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी छ0ग0 शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2 स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3 आयुक्त सह संचालक, पंचायत संचालनालय, विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4 महालेखाकार (छ0ग0 प्रकोष्ठ) रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5 आयुक्त, सरगुजा संभाग अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ।
6 अवर सचिव, छ0ग0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
7 कलेक्टर जिला जशपुर छ0ग0 की ओर सादर सूचनार्थ।
8 आयुक्त सह संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

9 संचालक, ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान निमोरा, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

10 कोषालय अधिकारी, जिला जशपुर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

11 पुलिस अधीक्षक, जिला–जशपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

12 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–जशपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

13 संबंधित कुमारी / श्री / श्रीमती ....
जिला जशपुर छ0ग0 को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

14. जिला सूचना केन्द्र एवं विज्ञान अधिकारी, जिला-जशपुर छ0ग0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया इंस्लेट में इन्द्राज कराने का कष्ट करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत–जशपुर (छ.ग.)